न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/17

1. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र प्रेमचन्द, जाति ब्राहम्ण,
2. राकेश कुमार पुत्र प्रेमचन्द, जाति ब्राहम्ण,
3. सतीश कुमार पुत्र प्रेमचन्द, जाति ब्राहम्ण, समस्त निवासी ग्राम टहला, तहसील टहला, जिला अलवर।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. गणपतलाल पुत्र बुद्धालाल जाति कुम्हार, निवासी टहला, तहसील टहला जिला अलवर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार टहला, जिला अलवर।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ (अलवर) दिनांक 04.07.2023

उपस्थित–

1. श्री विजय सिंह राठौड, वकील अपीलान्ट
2. रेस्पोडेन्ट सं. की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक –24.09.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर के निर्णय दिनांक 04.07.2023 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 06.03.2024 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 925 रकबा 0.24, खसरा नं0 926 रकबा 0.06, खसरा नम्बर 927 रकबा 0.07, खसरा नम्बर 928/2100 रकबा 0.09, खसरा नम्बर 928/2101 रकबा 0.03 है0 वाके ग्राम टहला की मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 13.06.2023 के अनुसार पत्थरगढी किये जाने हेतु प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 04.07.2023 को अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये आदेश पारित किये गये है कि तहसीलदार टहला को आदेश जारी किये जाते हैं कि वो अपनी उपस्थिति में प्रार्थी के खर्चे पर पक्षकारान की उपस्थिति में विवादित आराजी की पुनः पैमाईश कर धारा 111 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पत्थरगढी कराने की कार्यवाही करें।

3. उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 04.07.2023 से व्यथित होकर अपीलान्टस श्री धर्मेन्द्र कुमार पुत्र प्रेमचन्द वगै0 द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 06.03.2024 को प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर दिनांक 04.07.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्तओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विद्वान तहत न्यायालय में मिन अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विचाराधीन है। जिसमें 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र मिन अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जिसमें रेस्पोडेन्ट भी उपस्थित होकर पैरवी कर रहे हैं। 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर हर दो पक्षों की बहस सुनकर दिनांक 07.03.2023 को रेस्पोडेन्ट को पाबन्द किया गया कि वे विवादित आराजी की मौके की यथास्थिति बनाये रखे जो आदेश आज तक प्रभाव में है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व इनके परिवार के सदस्यों ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम पूर्व में भी तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जिसमें मिन अपीलांट को जानकारी होने पर मिन अपीलान्ट उक्त प्रार्थना पत्र में तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 07.03.2023 के निर्णय की प्रति प्रस्तुत की। जिस पर तहत न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट को किसी प्रकार का कोई रिलिफ देने से इंकार कर दियां जिस पर रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को नोट प्रेस में खारिज करा लिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर पुनः 16.06.2023 को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें पूर्व में प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र का कोई हवाला नहीं दिया गया है जबकि रेस्पोडेन्ट पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकता है क्योंकि उक्त प्रार्थना पत्र पर पुनः सुनवाई कानूनन नहीं की जा सकती है। प्रार्थना पत्र में दिनांक 13.06.2023 को सीमाज्ञान कराये जाने का उल्लेख किया गया है उक्त सीमाज्ञान कराते समय मिन अपीलान्टान को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और ना ही मौके पर बुलाया गया। इतना ही नहीं पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर दिनांक 13.06.2023 को कोई सीमाज्ञान नहीं किया गया। यदि सीमाज्ञान किया गया होता तो पत्रावली में अवश्य संलग्न किया जाता और जिस पर सीमाज्ञान मौके पर जाकर नहीं किया गया और रेस्पोडेन्ट की मर्जी के आधार पर सीमाज्ञान की कार्यवाही घर बैठे की गई है। प्रार्थना पत्र में केवल मात्र सरकार जरिये तहसीलदार, टहला को पक्षकार बनाया गया है। उसमें अप्रार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हो पायी। अपीलाधीन की सर्वप्रथम जानकारी मिन अपीलान्ट को तब हुई जब पटवारी हल्का व रेस्पोडेन्ट विवादित आराजी पर आये तो उन्होने बताया कि उपखण्ड अधिकारी राजगढ के आदेश दिनांक 04.07.2023 की पालना में पत्थरगढी की जा रही है। जिसकी नकल प्रार्थी को दिनांक 14.02.2023 को प्राप्त हुई। जिसकी अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गयी। जो अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर का निर्णय दिनांक 04.07.2023 को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि की ही पत्थरगढी करवाने हेतु आदेश दिया गया है जिसमें अन्य किसी पडौसी खातेदार को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में बिना पक्षकार बनाये ही निर्णय पारित किया गया है। जिसके कारण उसे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होना पूर्ण रूप से पुष्ट नहीं होता है तथा अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें विलम्ब से प्रस्तुत अपील/प्रार्थना पत्रादि के विलम्ब को माफ किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए एवं प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण के तथ्य के मद्देनजर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित है कि अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मध्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर राजगढ के समक्ष एक दावा विचाराधीन है एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सुनवाई पश्चात् दिनांक 07.03.2023 को अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी की गई। उसके उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम में अपीलार्थीगण को पक्षकार नही बनाया गया जिससे अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने से वंचित रहे है एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन निर्णय जारी करने के समय भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में समस्त तथ्य उपलब्ध नही हो सके है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2023 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर उभयपक्ष के मध्य पूर्व से विचाराधीन दावें के अलोक में समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय दिनांक 24.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।